कार्यालय जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक : /डी0एल0ए0/2018–2019, दिनांक :

विषय : आयकर विभाग, बुलन्दशहर द्वारा करदाता सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सभा करने के सम्बंध में।

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद बुलन्दशहर।

आयकर अधिकारी, वार्ड–3(2), बुलन्दशहर ने अपने पत्र सं0 आ0आ0/वार्ड–3(2)/बु0शहर/वर्क.शॉप/2018–19/, दिनांक 23.08.2018 द्वारा अवगत कराया है कि आयकर आयुक्त, रेंज–3, बुलन्दशहर के निर्देशानुसार आयकर विभाग द्वारा करदाता सहायता कार्यक्रम दिनांक 28.08.2018 को अपरान्ह 3–00 जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया जायेगा जिसमें जनपद के सभी आहरण वितरण अधिकारियों को आयकर विवरणी जमा करने के सम्बंध में नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी जायेगी। इसके साथ ही राजकीय भुगतान हेतु निकट भविष्य में लागू होने वाली ई–कुबेर प्रणाली की भी जानकारी दी जायेगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि जिला पंचायत, बुलन्दशहर के सभागार में दिनांक 28.08.2018 को अपरान्ह 3–00 बजे उपर्युक्त कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

पत्रांक : 1345-III /डी0एल0ए0/2018–2019, दिनांक 27-8-18

प्रतिलिपि : 1. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. मुख्य कोषाधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि वे इस कार्यक्रम में समन्वय स्थापित कर सहयोग प्रदान करें।

3. डी0आई0ओ0, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि वे इस पत्र को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करें।

4. आयकर अधिकारी, वार्ड–3(2), बुलन्दशहर को उनके पत्र सं0 आ0आ0/वार्ड–3(2)/बु0शहर/वर्क.शॉप/2018–19/, दिनांक 23.08.2018 के क्रम में सूचनार्थ।

5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 28.08.2018 को अपरान्ह 3–00 बजे जिला पंचायत सभागार में उपरोक्त बैठक हेतु व्यवस्था करें।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।